

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

॥ विधायी एवं अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
बृहस्पतिवार, 26 अक्तूबर, 1995 / कार्तिक 04, 1917 ॥शक॥

संख्या. 222

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त
उपायुक्त पुलिस, केन्द्रीय ज़िला, दिल्ली से दिनांक: 20. 10. 95 की
निम्नलिखित संसूचना दिनांक: 25. 10. 95 को प्राप्त हुई :-

" मुझे सम्मान आपको सूचित करना है कि राष्ट्रीय राजधानी
राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के माननीय सदस्य सर्वश्री
टेक चन्द शर्मा, राज कुमार चौहान, जय किशन, महेन्द्र सिंह साथी,
मकेश शर्मा, तथा दीप चन्द बन्धु को उनके समर्थकों के साथ आई. टी. औ.
क्रासिंग, नई दिल्ली से पुलिस के विधिवत् निर्देशों की अवज्ञा करने
पर दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक:
20. 10. 95 को सायं 6.40 बजे नज़रबंद कर दिया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् 20. 10. 95 को सायं 6.40 बजे
रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II -

(General information relating to Legislative & other matters)
Thursday, October, 26, 1995/Kartik 04, 1917 (Saka)

No.222

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 20.10.1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Addl. Deputy Commissioner of Police, Central District, Delhi was received on 25.10.1995 :-

"I have the honour to inform you that S/Shri Tek Chand Sharma, Raj Kumar Chauhan, Jai Kishan, Mahender Singh Sathi, Mukesh Sharma and Deep Chand Bandhu, Hon'ble members of Legislative Assembly, N.C.T. of Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from I.T.O. Crossing, New Delhi at 1840 hours on 20.10.1995.

They were released at 1845 hours, the same day, i.e. 20.10.1995."

P.N. GUPTA
SECRETARY